न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी:—वीर सिंह पुत्र भवानीराम मीना नि0 कुश्तला बनाम हनुमान पुत्र गोपाल मीना व अन्य

किस्म प्रकरण— निगरानी

जीसीएमएस संख्या 2023/50 प्रकरण संख्या 08/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न/ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
6.8.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत कुस्तला की मिसल संख्या 62/7.6.1990 आदेश पटटा संख्या 98 दिनांक 28.8.1990 से संबंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत कुश्तला मे उपलब्ध नही होने की रिपोर्ट ग्राम पंचायत कुश्तला के पत्रांक स्पे.1 दिनांक 27.2.2024 से प्राप्त हुई है इसलिए उक्त पटटा खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया कि वकील प्रार्थी द्वारा निगरान पेश करते समय भी आदेश जैर निगरानी मिसल संख्या 62/7.6.1990 आदेश पटटा संख्या 98 दिनांक 28.81990 की प्रमाणित अथवा अप्रमाणित प्रति पेश नही की गयी है एवं ग्राम पंचायत कुश्तला की रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र से संबंधित कोई रिकार्ड/पटटा ग्राम पंचायत कुश्तला मे उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में जब इस निगरानी प्रार्थना पत्र से संबंधित कोई पटटा ही नही है तो वकील प्रार्थी इस निगरानी प्रार्थना पत्र के माध्यम से किस पटटे को खारिज करवाना चाहता है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही वकील प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त पटटे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध हो जाती है तो आप नये सिरे से निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:36:04 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner